

बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

संख्या- 1/श्रम वि०स्था० (4) 40-01/2010 श्र०सं०- 01

पटना, दिनांक- 08.04.15

माननीय उच्च न्यायालय, पटना के पत्र ज्ञापांक-12510-15512 दिनांक-03.03.2015 तथा अधिसूचना संख्या-109 A दिनांक-02.04.2015 एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना ज्ञाप सं०-4691 दिनांक-26.03.2015 के आलोक में श्री शशि भूषण नीरज, सब जज भागलपुर को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा-7(2) के साथ पठित धारा-8 के अन्तर्गत श्रम न्यायालय, मुजफ्फरपुर में पीठासीन पदाधिकारी के पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त वे श्रम न्यायालय, मोतिहारी एवं छपरा के भी प्रभार में रहेंगे। इनका मुख्यालय मुजफ्फरपुर रहेगा।

2. इनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि अधिकतम 3 (तीन) वर्षों की होगी।

संख्या- 1/श्रम वि०स्था० (4) 40-01/2010 श्र०सं०- 02

पटना, दिनांक- 08.04.15

माननीय उच्च न्यायालय, पटना के पत्र ज्ञापांक 12510-15512 दिनांक-03.03.2015 तथा अधिसूचना संख्या-109A दिनांक-02.04.2015 एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना ज्ञाप सं०-4691 दिनांक-26.03.2015 के आलोक में श्री राजेश कुमार शुक्ला, सब जज, पूर्णियाँ को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा-7(2) के साथ पठित धारा-8 के अन्तर्गत श्रम न्यायालय, वेगूसराय में पीठासीन पदाधिकारी के पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त वे श्रम न्यायालय, भागलपुर के भी प्रभार में रहेंगे। इनका मुख्यालय वेगूसराय रहेगा।

2. इनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि अधिकतम 3(तीन) वर्षों की होगी।


संख्या- 1/श्रम वि०स्था० (4) 40-01/2010 श्र०सं०- 03

पटना, दिनांक- 08.04.15


माननीय उच्च न्यायालय, पटना के पत्र ज्ञापांक 12510-15512 दिनांक-03.03.2015 तथा अधिसूचना संख्या-109A दिनांक-02.04.2015 एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना ज्ञाप सं०-4691 दिनांक-26.03.2015 के आलोक में सुश्री संगीता, सब जज, पटना सिटी को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा-7(2) के साथ पठित धारा-8 के अन्तर्गत श्रम न्यायालय, पटना में पीठासीन पदाधिकारी के पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किया जाता है। इनका मुख्यालय पटना रहेगा।

2. इनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि अधिकतम 3(तीन) वर्षों की होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(देव नन्दन यादव)

सरकार के अपर सचिव



ज्ञापांक-1/श्रम वि०स्था० (4) 40-01/2010 श्र०सं०- 03

पटना, दिनांक- 08.04.15

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 तथा प्रभारी, ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को दो प्रतियों में बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-1/श्रम वि०स्था० (4) 40-01/2010 श्र०सं०- 03

पटना, दिनांक- 08.04.15

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, वीरचंद पटेल पथ, पटना/सभी संबंधित कोषागार पाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-1/श्रम वि०स्था० (4) 40-01/2010 श्र०सं०- 03

पटना, दिनांक- 08.04.15

प्रतिलिपि:- महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय, पटना/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना ज्ञाप-4691 दिनांक-26.03.2015 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-1/श्रम वि०स्था० (4) 40-01/2010 श्र०सं०- 03

पटना, दिनांक- 08.04.15

प्रतिलिपि:- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / सचिव, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/श्रमायुक्त, बिहार, पटना/निदेशक (कृ०श्र०)बिहार, पटना/निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, बिहार, पटना/मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार, पटना/मुख्य वाष्पित्र निरीक्षक, बिहार, पटना/विधि विभाग, बिहार, पटना/सभी संयुक्त श्रमायुक्त/सभी उप श्रमायुक्त(सामान्य एवं कृ०श्र० सहित)/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी/प्रशाखा-1 (सरकार पक्ष) को दस अतिरिक्त प्रति के साथ/पीठासीन पदाधिकारी, औद्योगिक न्यायाधिकरण, पटना/ पीठासीन पदाधिकारी, औद्योगिक न्यायाधिकरण, मुजफ्फरपुर/श्री शशि भूषण नीरज, सब जज, भागलपुर (अधिसूचित पीठासीन पदाधिकारी, श्रम न्यायालय, मुजफ्फरपुर) /श्री राजेश कुमार शुक्ला, सब जज, पूर्णियाँ (अधिसूचित पीठासीन पदाधिकारी, श्रम न्यायालय, वेगुसराय)/ सुश्री संगीता, सब जज,पटना सिटी (अधिसूचित पीठासीन पदाधिकारी, श्रम न्यायालय, पटना) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव